7/05/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर है। मूल वाद में प्रा.पत्र 7 R 11 CPC पर बहस सुनी जाकर प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जा चुका है, अतः T.I. पत्रावली में कार्यवाही का कोई औचित्य शेष नहीं है। अतः पत्रावली (T.I) औचित्यहीन होकर एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली कौशल कुमार रीडर [illegible] से मय की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2024.10.30 12:34:10 IST
Reason: SelfAttested